न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 1 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 09.01.2020

1–कैलाश पुत्र सुगना जाति नाई निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह टोंक राज0
2–प्रेम पुत्री सुगना जाति नाई निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह टोंक राज0
3–सायरी पुत्री सुगना जाति नाई निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह टोंक राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–रामधन पुत्र चतुर्भुज जाट निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह टोंक राज0
2–उपखण्ड अधिकारी (भू–आवंटन सलाहकार समिति) टोडारायसिंह जिला–टोंक राज0

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विधि विरूद्व आदेश दिनांक 6–1–2011

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री सै0 मजहर आलम राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

निर्णय **दिनांक 27–7–2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6–1–2011 को प्रतिपक्षी 1 को आ0ख0नं0 44 / 3245 रकबा 0.28 है0 भूमि वाके ग्राम कुहाड़ा बुजुर्ग तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 6–1–2011 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना आवंटन किया गया है। खसरा नम्बर 44 / 3245 साबिक खसरा नम्बर 2143 मिन रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से बनाया गया है, जो पहले साबिक खसरा नम्बर 2143 मिन रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा था जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.30 हैक्टर बनाये गये हैं। इसके अलावा अन्य कोई रकबा उक्त नम्बर में शेष नहीं था जिसको बाद में 44 / 3245 रकबा 0.56 है0 के रूप में जमाबन्दी में दर्ज कर सिवायचक कर दिया। साबिक खसरा नम्बर 2143 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि थी जिसको दिनांक 6–7–1966 को जरिए मिसल नम्बर 1012 / 1966 विधिवत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

रूप से प्रार्थीगण के पिता सुगना पुत्र माधो जाति नाई निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग को आवटन कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, तब से लेकर आज तक प्रार्थीगण के पिता का तथा उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 2143 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का गैर खातेदारी का अंकन सुगना पुत्र माधो नाई के पक्ष में जमाबन्दी सं0 2027 से 2030 में कर दिया गया था। उसके बाद खसरा नम्बर 38 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 39 रकबा 0.82 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.30 है., किता 3 रकबा 1.64 है. प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। इस प्रकार खसरा नं. 44 व ख. नं. 44/3245 में पृथक से कोई भूमि शेष नहीं थी,परन्तु राजस्व रिकोर्ड में खसरा नं. 44/3245 रकबा 0.56 है. अलग से जमाबन्दी में दर्ज करने से इस बात का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी नं. 1 ने गलत रूप से अपने हक में आवंटन आदेश प्राप्त कर लिया जो चलने योग्य नहीं हैं निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन रहा कि तथाकथित आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की गई जबकि मौके पर खसरा नं. 44/3245 में प्रतिपक्षी नं. 1 को या अन्य को आवंटन करने योग्य कोई भूमि ही नहीं है,बल्कि सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थीगण का बतौर खातेदार, काश्तकार के कब्जा चला आ रहा हैं एवं काश्त कर रहे हैं जिससे उक्त आवंटन आदेश गलत सादिर हुआ हैं एवं चलने योग्य नहीं है। प्रतिपक्षी नं. 1 ने अवैध तरीके से आवंटन का आदेश प्राप्त किया है जो केवल मात्र कागजी कार्यवाही है, उसके नाम सुपुर्दगीनामा भी गलत रूप से जारी किया गया है,क्योंकि मौके पर भूमि शेष नहीं थी प्रतिपक्षी सं. 1 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर चुपचाप तथाकथित आदेश प्राप्त किया है,जिसमें किसी प्रकार नियमों की पालना नहीं की गई हैं ,बल्कि छल–कपट से आदेश पारित किया गया है,जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4) भू–राजस्व अधिनियम के नियम 1970 स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी नं. 1 के हक के किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06.01.2011 निरस्त किया जावें। अभिभाषक द्वारा साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत् 2027–30 व 2067 नकल तथा नामा. 255 व नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तथा नक्शा ट्रेस पेश किए गए।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6–1–2011 को प्रतिपक्षी 1 को आ0ख0नं0 44/3245 रकबा 0.28 है0 भूमि वाके ग्राम कुहाड़ा बुजुर्ग तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक में आवंटन किया गया है। यदि उक्त भूमि दिनांक 6–7–1966 को जरिए मिसल नम्बर 1012/1966 विधिवत रूप से प्रार्थीगण के पिता सुगना पुत्र माधो जाति नाई निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग को आवंटित की गई थी जिसका नोट नामा0 सं0 255 में अंकित है। आवंटन आदेश की प्रति मौके पर आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को उपलब्ध करानी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा आवंटन संबंधी आदेश की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विवादित भूमि दिनांक 6–7–1966 को जरिए मिसल नम्बर 1012/1966 विधिवत रूप से प्रार्थीगण के पिता सुगना पुत्र माधो जाति नाई निवासी कुहाड़ा बुजुर्ग को आवंटित की गई थी जिसका

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

नोट नामा0 सं0 255 में अंकित है। आवंटन पत्रावली/दस्तावेजात का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी सं. 1 रामधन पुत्र चतुर्भुज जाट निवासी कुहाडा बुजुर्ग तह. टोडारायसिंह को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6–1–2011 को आ0ख0नं0 44/3245 रकबा 0.28 है0 भूमि वाके ग्राम कुहाड़ा बुजुर्ग तह0 टोडारायसिंह आवंटन किया गया है,परन्तु आवंटन से पूर्व ही खसरा नम्बर 2143 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सं0 2027 से 2030 में सुगना पुत्र माधो नाई के नाम गेर खातेदारी मे और जमाबन्दी सं0 2064 से 2067 में कैलाश पुत्र प्रेम सायरी पुत्रियां सुगना कोम नाई सा. देह खातेदार अंकित है तथा खसरा नम्बर 38 रकबा 0.52 है0,खसरा नम्बर 39 रकबा 0.82 है0 व खसरा नम्बर 44 रकबा 030 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 है0 के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार ख. नं. 44 व ख. नं. 44/3245 में पृथक् से कोई भूमि आवंटन योग्य शेष नहीं होने पर भी भू–आवंटन सलाहकार समित द्वारा गलत रूप से आवंटन आदेश पारित किया गया। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन आदेश यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामधन पुत्र चतुर्भुज जाट निवासी कुहाडा बुजुर्ग तह. टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 06.01.2011 को ग्राम कुहाडाबुजुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 44/3245 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(परशुराम धानका)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक